



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271138
CG-DL-E-20032026-271138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1426]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 1426]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

का.आ. 1491(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 'चाय अनुसंधान संघ', (पैन: AAAAT3430E), कोलकाता, पश्चिम बंगाल को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'अनुसंधान संघ' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना मूल्यांकन वर्ष 2027-28 से 2031-32 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी।

(i) 'चाय अनुसंधान संघ' कोलकाता, पश्चिम बंगाल को आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 5घ में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(ii) 'चाय अनुसंधान संघ' कोलकाता, पश्चिम बंगाल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र संख्या 10खघ में निर्धारित विवरण तैयार करेगा और उक्त निर्धारित आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त प्रपत्र में, ऐसे तरीके से सत्यापित, ऐसे विवरणों को प्रस्तुत करते हुए, उस वित्तीय वर्ष के तुरंत

बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले, जिसमें दान प्राप्त हुआ है, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 18कख में निर्धारित अनुसार प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा।

बशर्ते कि ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) के तहत दिए गए विवरण में किसी भी गलती को सुधारने या उसमें जानकारी जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को एक सुधार विवरण भी प्रस्तुत कर सकती है।

(iii) 'चाय अनुसंधान संघ' कोलकाता, पश्चिम बंगाल दानकर्ता को प्रपत्र संख्या 10खग में एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, जिसमें दान की राशि का विवरण, विवरण और राशि प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के भीतर दिया जाएगा, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 18कख में निर्धारित है।

[अधिसूचना सं. 24/2026/फा. सं. 203/13/2025/ITA-II]

इंदु बाला, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2026.

S.O. 1491(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with Rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves '**Tea Research Association**' (PAN: AAAAT3430E), **Kolkata, West Bengal** under the category of '**Research Association**' for '**Scientific Research**' for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall be applicable for Assessment years 2027-28 to 2031-32 subject to the following conditions:

- i. '**Tea Research Association**' **Kolkata, West Bengal** shall comply with the conditions specified in Rule 5D of the Income-tax Rules, 1962.
- ii. '**Tea Research Association**' **Kolkata, West Bengal** shall prepare statement under sub-section (1A) of section 35 of the Act for each financial year as prescribed in Form No.10BD and deliver or cause to be delivered to the said prescribed income-tax authority or the person authorised by such authority such statement in such form, verified in such manner, setting forth such particulars on or before the 31st May, immediately following the financial year in which the donation is received, as prescribed in Rule 18AB of the Income-tax Rules, 1962.

Provided that such research association may also deliver to the prescribed authority a correction statement for rectification of any mistake or to add, delete or update the information furnished in the statement delivered under sub-section (1A) of section 35 of the Act;

- iii. '**Tea Research Association**' **Kolkata, West Bengal** shall furnish to the donor, a certificate in Form No.10BE specifying the amount of donation in such manner, containing such particulars and within such time from the date of receipt of sum, as prescribed in Rule 18AB of the Income-tax Rules, 1962.

[Notification No.24/2026/F. No. 203/13/2025/ITA-II]

INDU BALA, Dy. Secy.